

सहकारिता के साथ समृद्धि

SUN CITY



Citizen EcoHeights



Citizen pearl



शुभ-कालय अपार्टमेन्ट



New SUN CITY



Citizen Ananda SMART INVESTMENT. SMART HOMES



विवरण के लिए सम्पर्क करें :

सिटीजन हाउसिंग

सहयोग भवन, 1, एम.जी. मार्ग, बिशप जानसन स्कूल के बगल में, हाईकोर्ट के समीप, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद, फोन : 0532-2560423, 3299592

साइट कार्यालय

इको हाइट्स कॉम्प्लेक्स, ऋषभदेव तपस्थली जैन मंदिर के पश्चिम, टाटा मोटर्स सर्विस सेन्टर के पूर्व, इलाहाबाद-वाराणसी राजमार्ग, अन्दावा, झूँसी, इलाहाबाद, फोन : 0532-6900006

Website : www.citizenhomes.in E-mail : advisor@citizenhomes.in

HOTLINE : 07379127127



सिटीजन सम्पत्ति सलाहकार बनने का सुनहरा अवसर

गृहणियां जो इच्छा रखती हैं आर्थिक आजादी की।

स्वरोजगार अथवा नौकरी करने वाले व्यक्ति जो अतिरिक्त आय पाना चाहते हैं

एक शिक्षक जो निजी व्यवसाय में भी रुचि रखते हैं

सेवानिवृत्त व्यक्ति जो जीवन में नई संभावनाएं चाहते हैं।



SUN CITY

Citizen EcoHeights

Proposed New SUN CITY

Citizen pearl

Citizen Proposed Ananda

Citizen प्रस्तावित शुभ-कालय अपार्टमेन्ट

Call Citizen Hotline No. **07379127127**

Full time agent working options with Attractive Incentive structure also available

सिटीजन

सम्पत्ति सलाहकार

बनने का सुनहरा अवसर

मनचाही आमदनी एवं सम्मान पाने का अवसर
अपनी सुविधा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता

कमीशन रु. 5,000 से रु. 50,000

घर बैठे काम करने की सुविधा

योग्यता 12वीं पास

सहयोग पायें हमारी प्रोफेशनल सेल्स टीम से

Give



to your Ambitions

Make a

Rewarding Career

with the largest Co-operative Housing Society
of Allahabad as a

CITIZEN PROPERTY ADVISOR

ACTUAL SITE PHOTO



OPTION-1 (विकल्प-1)

सिटीजन सम्पत्ति सलाहकार (reference only) हेतु

As simple as A, B, C, D



A अपने परिजन, मित्रगण, पड़ोसी, सहकर्मी इत्यादि में ऐसे लोग ढूँं जो प्रॉपर्टी में निवेश के इच्छुक हों।



B निवेश के इच्छुक व्यक्ति के बारे में हमारे सेल्स एक्जीक्यूटिव को बतायें (reference)



C हमारे सेल्स एक्जीक्यूटिव पूरी लगन और निष्ठा से आपकी दी गई जानकारी पर कार्य करेंगे



D बुकिंग होने पर सिटीजन सम्पत्ति सलाहकार प्राप्त करें प्रोत्साहन धनराशि न्यूनतम रु. 5,000 मात्र (बुकिंग के एक माह के भीतर)

OPTION-2 (विकल्प-2)

सिटीजन सम्पत्ति सलाहकार (full time agent) हेतु



Full Sales & Mkt. Support

Handsome Commission

Work from Home

Special Referral Bonus

ACTUAL SITE PHOTO

Please contact us for incentive structures & more details.



सिटीजन सम्पत्ति सलाहकार

- परिभाषा :** सम्पत्ति सलाहकार वो व्यक्ति होता है जो सम्पत्ति से सम्बन्धित आवेदक/सदस्य को सम्पत्ति में सही एवं उचित निवेश की जानकारी दे। जिससे आवेदक/सदस्य को अधिक से अधिक लाभ कमाने का मौका मिल सके।
- सम्पत्ति सलाहकार के प्रकार :**
 - क) संदर्भ सलाहकार :** संदर्भ सलाहकार (Advisor) वो व्यक्ति होता है जिसकी पहले ग्राहक से मुलाकात होती है और वो उस ग्राहक को अपने से सम्बन्धित सिटीजन हाउसिंग विक्रय प्रतिनिधि से मुलाकात करवाता है, उसके बाद सिटीजन विक्रय प्रतिनिधि उस ग्राहक को सम्पत्ति में निवेश का सही एवं उचित सुझाव देता है।
 - ख) स्वयं सलाहकार :** स्वयं सलाहकार (Agent) वो व्यक्ति होता है जो ग्राहक से खुद मिलकर उसे सम्पत्ति में निवेश का सही एवं उचित सलाह देता है और निवेश करवाता है।
- सम्पत्ति सलाहकार बनने के लाभ :**
 - क) घर बैठे मनचाहे लाभ कमाने का अवसर।
 - ख) अपनी सुविधानुसार कार्य करने की छूट।
 - ग) लाभ कमाने के लिये किसी भी तरीके से पूँजी निवेश की जरूरत नहीं।
 - घ) अपने कार्यक्षेत्र के अलावा अलग से लाभ कमाने का अवसर।
 - ङ) सम्पत्ति भागीदारी में उज्ज्वल भविष्य बनाने का अवसर।
- सम्पत्ति सलाहकार बनने का तरीका :** कार्यालय या किसी सिटीजन विक्रय प्रतिनिधि से मिलकर फार्म भरें जिसके साथ एक पहचान पत्र एवं एक फोटो फार्म के साथ संलग्न कर कार्यालय या सिटीजन विक्रय प्रतिनिधि के पास जमा करा दें। फार्म के साथ कम से कम एक सन्दर्भ अनिवार्य है।
- सम्पत्ति सलाहकार की योग्यता :** सम्पत्ति सलाहकार बनने के लिए आवेदक की न्यूनतम योग्यता 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- सम्पत्ति सलाहकार के कार्य :**
 - क) अपने परिजन, मित्रगण, पड़ोसी, सहकर्मी इत्यादि में से ऐसे लोग ढूँढ़ें जो सम्पत्ति में निवेश करने के लिए इच्छुक हों।
 - ख) जिस व्यक्ति को निवेश के लिए ढूँढ़ें उनको वो खुद सम्पत्ति में निवेश का सही एवं उचित सुझाव दें या अपने सिटीजन हाउसिंग विक्रय प्रतिनिधि से मिलवाकर उन्हें निवेश का सही एवं उचित सुझाव दिलवायें जिससे आवेदक/सदस्य को अधिक से अधिक लाभ कमाने का अवसर मिल सके।
 - ग) अपने रिफरेंस का विवरण समिति द्वारा दिए गए रिफरेंस फार्म अथवा ऑन लाइन www.citizenhomes.in पर जमा करें।
 - घ) रिफरेंस फार्म जमा होने के बाद एस.एम.एस. द्वारा सम्पत्ति सलाहकार समिति के विक्रय प्रतिनिधि को सूचित किया जाएगा।
 - ङ) अगले एक माह तक समिति के विक्रय प्रतिनिधि द्वारा दिए गए रिफरेंस (संदर्भ) पर पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य किया जायेगा और विक्रय करने की पूरी कोशिश की जायेगी।
 - च) सम्पत्ति सलाहकार भी अपनी ओर से विक्रय प्रतिनिधि एवं दिए गए रिफरेंस (संदर्भ) से सम्पर्क बनाते हुए विक्रय प्रक्रिया में सहयोग कर सकते हैं। एवं पूरे प्रकरण में प्रगति पर नजर रख सकते हैं।
 - छ) रिफरेंस द्वारा बुकिंग धनराशि (जो कि प्रोजेक्ट पर निर्भर है) दिए जाने के एक माह के बाद सफल सम्पत्ति सलाहकार को प्रोत्साहन धनराशि दी जाएगी।

Advisor ID :

व्यक्तिगत विवरण पत्र

श्री/श्रीमती/सुश्री.....जन्मतिथि.....

पुत्र/पत्नी/पुत्री.....मोबाइल.....

स्थाई पता.....

शहर.....प्रदेश.....पिन कोड.....

ई-मेल :PAN.....

व्यवसाय सरकारी नौकरी निजी नौकरी निजी पेशा सेवानिवृत्त अन्य

आई.डी./एड्रेस प्रूफ (संलग्न)

Declaration : मैं समय-समय पर समिति की योजना एवं नीतियों इत्यादि के बारे में सूचनायें, एसएमएस व व्यक्तिगत मीटिंग के लिए अपनी अनुमति देता हूँ।

हस्ताक्षर आवेदक

Passport size Photo

HOTLINE : 07379127127 Website : www.citizenhomes.in E-mail : advisor@citizenhomes.in



सिटीजन सम्पत्ति सलाहकार

एडवाइजर का नाम :..... **संदर्भ विवरण** एडवाइजर आई.डी. :.....

संदर्भ का नाम : फोन :.....

पता :

स्कीम : **बजट**.....

:: मुख्य नियम एवं शर्तें ::

- रेफरेंस एडवाइजर (सलाहकार) के माध्यम से पंजीकरण होने पर एक माह के भीतर प्रोत्साहन धनराशि दी जायेगी। ● पंजीकरण का तात्पर्य योजना के अन्तर्गत न्यूनतम विक्रय मूल्य के अनुपात जमा अंश द्वारा एवं मेम्बरशिप रजिस्ट्रेशन धनराशि आधार विक्रय मूल्य का 10% या 25% से है योजनानुसार। ● पंजीकरण से 6 माह के भीतर जमा धनराशि किन्हीं भी परिस्थितियों में वापस करनी पड़ी तो पूरी प्रोत्साहन धनराशि वापस ले ली जायेगी। वहीं अगर Cancel/Refund आवेदन के छः से बारह माह में होती है तो प्रोत्साहन धनराशि का 50% रिकवर कर लिया जायेगा। ● सभी धनराशि के भुगतान के लिए समिति की प्राथमिकता चेक/ड्राफ्ट या सीधे बैंक में जमा करने की होगी। फिर भी जहाँ आवश्यक होगा कुछ या सभी नगद भुगतान निश्चित रूप से समिति के मुख्य कार्यालय में सचिव/सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर से ही किया जायेगा। सभी चेक अथवा ड्राफ्ट 'सिटीजन हाउसिंग एवं डेवलपिंग को-आपरेटिव सोसायटी लि.', इलाहाबाद के नाम से ही देय होगा। ● सभी भुगतान पर टी.डी.एस. अथवा सक्षम सरकारी टैक्स एवं व्यय लागू हो सकते हैं। ● यह नियम संक्षेप में हैं अधिक जानकारी एवं फुल टाइम एजेन्ट कार्य के बारे में जानने के लिए मुख्य कार्यालय में संपर्क करें। ● सभी सम्पत्ति सलाहकारों को समय-समय पर पत्राचार, SMS एवं व्यक्तिगत मीटिंग के माध्यम से समिति की योजना एवं नीतियों के बारे में सूचित किया जायेगा।

एडवाइजर का नाम :..... **संदर्भ विवरण** एडवाइजर आई.डी. :.....

संदर्भ का नाम : फोन :.....

पता :

स्कीम : **बजट**.....

:: मुख्य नियम एवं शर्तें ::

- रेफरेंस एडवाइजर (सलाहकार) के माध्यम से पंजीकरण होने पर एक माह के भीतर प्रोत्साहन धनराशि दी जायेगी। ● पंजीकरण का तात्पर्य योजना के अन्तर्गत न्यूनतम विक्रय मूल्य के अनुपात जमा अंश द्वारा एवं मेम्बरशिप रजिस्ट्रेशन धनराशि आधार विक्रय मूल्य का 10% या 25% से है योजनानुसार। ● पंजीकरण से 6 माह के भीतर जमा धनराशि किन्हीं भी परिस्थितियों में वापस करनी पड़ी तो पूरी प्रोत्साहन धनराशि वापस ले ली जायेगी। वहीं अगर Cancel/Refund आवेदन के छः से बारह माह में होती है तो प्रोत्साहन धनराशि का 50% रिकवर कर लिया जायेगा। ● सभी धनराशि के भुगतान के लिए समिति की प्राथमिकता चेक/ड्राफ्ट या सीधे बैंक में जमा करने की होगी। फिर भी जहाँ आवश्यक होगा कुछ या सभी नगद भुगतान निश्चित रूप से समिति के मुख्य कार्यालय में सचिव/सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर से ही किया जायेगा। सभी चेक अथवा ड्राफ्ट 'सिटीजन हाउसिंग एवं डेवलपिंग को-आपरेटिव सोसायटी लि.', इलाहाबाद के नाम से ही देय होगा। ● सभी भुगतान पर टी.डी.एस. अथवा सक्षम सरकारी टैक्स एवं व्यय लागू हो सकते हैं। ● यह नियम संक्षेप में हैं अधिक जानकारी एवं फुल टाइम एजेन्ट कार्य के बारे में जानने के लिए मुख्य कार्यालय में संपर्क करें। ● सभी सम्पत्ति सलाहकारों को समय-समय पर पत्राचार, SMS एवं व्यक्तिगत मीटिंग के माध्यम से समिति की योजना एवं नीतियों के बारे में सूचित किया जायेगा।

एडवाइजर का नाम :..... **संदर्भ विवरण** एडवाइजर आई.डी. :.....

संदर्भ का नाम : फोन :.....

पता :

स्कीम : **बजट**.....

:: मुख्य नियम एवं शर्तें ::

- रेफरेंस एडवाइजर (सलाहकार) के माध्यम से पंजीकरण होने पर एक माह के भीतर प्रोत्साहन धनराशि दी जायेगी। ● पंजीकरण का तात्पर्य योजना के अन्तर्गत न्यूनतम विक्रय मूल्य के अनुपात जमा अंश द्वारा एवं मेम्बरशिप रजिस्ट्रेशन धनराशि आधार विक्रय मूल्य का 10% या 25% से है योजनानुसार। ● पंजीकरण से 6 माह के भीतर जमा धनराशि किन्हीं भी परिस्थितियों में वापस करनी पड़ी तो पूरी प्रोत्साहन धनराशि वापस ले ली जायेगी। वहीं अगर Cancel/Refund आवेदन के छः से बारह माह में होती है तो प्रोत्साहन धनराशि का 50% रिकवर कर लिया जायेगा। ● सभी धनराशि के भुगतान के लिए समिति की प्राथमिकता चेक/ड्राफ्ट या सीधे बैंक में जमा करने की होगी। फिर भी जहाँ आवश्यक होगा कुछ या सभी नगद भुगतान निश्चित रूप से समिति के मुख्य कार्यालय में सचिव/सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर से ही किया जायेगा। सभी चेक अथवा ड्राफ्ट 'सिटीजन हाउसिंग एवं डेवलपिंग को-आपरेटिव सोसायटी लि.', इलाहाबाद के नाम से ही देय होगा। ● सभी भुगतान पर टी.डी.एस. अथवा सक्षम सरकारी टैक्स एवं व्यय लागू हो सकते हैं। ● यह नियम संक्षेप में हैं अधिक जानकारी एवं फुल टाइम एजेन्ट कार्य के बारे में जानने के लिए मुख्य कार्यालय में संपर्क करें। ● सभी सम्पत्ति सलाहकारों को समय-समय पर पत्राचार, SMS एवं व्यक्तिगत मीटिंग के माध्यम से समिति की योजना एवं नीतियों के बारे में सूचित किया जायेगा।

HOTLINE : 07379127127 Website : www.citizenhomes.in E-mail : advisor@citizenhomes.in